"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 465] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 14 सितम्बर 2023 — भाद्रपद 23, शक 1945

पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 21 अगस्त 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 8–51/35/2023.– छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के गठन हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक 305/एफ–8–146/35/2015 दिनांक 22/03/2016 की कंडिका 8.15 में निहित प्रावधानानुसार छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के कार्यों एवं प्रशासनिक व्यवस्था हेतु छत्तीसगढ़ राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

नियम 2023

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :–

1.1 ये नियम ''छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड नियम, 2023'' कहलायेंगे ।

1.2 ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

1.3 इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य होगा ।

2. उद्देश्य :– बोर्ड का उद्देश्य पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का परिपालन करते हुये पशुओं को अनावश्यक उत्पीड़न या पीड़ा से संरक्षण प्रदान करना है ।

3. परिभाषाएं :–

3.1 इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

3.1.1 ''बोर्ड'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक 325/एफ 8–146/35/2015 दिनांक 22/03/2016 के द्वारा गठित छ.ग. राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, रायपुर,

3.1.2 ''भत्ते'' से अभिप्रेत है यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता,

3.1.3. ''फीस'' से अभिप्रेत है पशु कल्याण संस्थाओं/समितियों एवं पालतु पशु दुकान (Pet Shop)/श्वान प्रजनन एवं विपणन केंद्र के पंजीयन से प्राप्त राशि,

3.1.4. ''शासन'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन,

3.1.5 ''वित्त वर्ष'' से अभिप्रेत है प्रत्येक कलेंडर वर्ष के दिनांक 01 अप्रेल को प्रारंभ होकर आगामी कलेंडर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि। परंतु केन्द्र सरकार अथवा राज्य शासन द्वारा वित्त वर्ष को अन्यथा रूप में घोषित/अधिसूचित करें तो वित्त वर्ष तद्नुसार मान्य होगा,

3.1.6 ''कार्यकारिणी समिति'' से अभिप्रेत है अधिसूचना संशोधन एफ 8–146/35/2015/2023 दिनांक 17/04/2023 के कंडिका 10.1 (अ) में दर्शाये गये कार्यकारिणी समिति,

3.1.7 ''पशु कल्याण समिति'' से अभिप्रेत है पशुओं के कल्याण के लिए ऐसी स्वयंसेवी समिति, जो छ.ग. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत है,

3.1.8 ''पशु'' से तात्पर्य मनुष्य से भिन्न कोई प्राणधारी जीव से है एवं ''पालतु पशु'' के अंतर्गत कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, गिनी पिग, हैमस्टर,मूसक या चूहिया प्रवर्ग के कृंतक तथा पिंजराबंद पक्षी भी है, जिसका स्वामित्व और उनका व्यापार जिसे किसी अन्य विधि नियम या विनियमों द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है।

3.1.9 "प्रजनक" से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है जो प्रजनन और श्वान तथा पिल्लों के विक्रय के लिए विनिर्दिष्ट नस्लों के निजी श्वान रखता है और जिसमें श्वान गृह भोजन व्यवस्थापक प्रचालक, मध्यवर्गी संचालक और व्यापारी सम्मिलित है।

3.1.10 ''पालतु पशु दुकान'' से अभिप्रेत है पालतु पशु के क्रय–विक्रय में संलग्न व्यक्ति अथवा संस्था से है।

3.1.11 ''पशु गृह'' से अभिप्रेत है ऐसी संस्था/गृह से है जहां पर असहाय, लाचार, लावारिस, दुर्घटनाग्रस्त एवं बीमार गौवंशीय, भैंसवंशीय, सूकर, भेड़, बकरी, श्वान को संरक्षण एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाए,

3.1.12 पशु रूग्णावास'' से तात्पर्य है ऐसे पशु चिकित्सालय जहां पर पशुओं को चिकित्सकीय के साथ–साथ विभागीय टीकाकरण, दवापान एवं अन्य विभागीय योजना अंतर्गत सुविधा प्रदाय किया जाना। पशु गृह एवं पशु रूग्णावास की स्थापना भारत सरकार की अधिसूचना S.O.271 (E) दिनांक 26.03.2001 के कंडिका 4 के तहत किया जाना है।

3.1.13 ''जिला एस.पी.सी.ए.'' से अभिप्रेत है, भारत सरकार की अधिसूचना S.O.271 (E) दिनांक 26.03.2001 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिले में छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए गठित एवं पंजीकृत समिति,

3.1.14 ''जिला एस.पी.सी.ए. के अध्यक्ष/चेयरपर्सन'' से तात्पर्य है, डिप्टी कमिश्नर/जिला कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी,

3.1.15 ''जिला एस.पी.सी.ए. के सदस्य सचिव'' से तात्पर्य है, जिला के संयुक्त संचालक /उप संचालक, प.चि.से.,

3.1.16 ''स्थानीय प्राधिकारी'' से तात्पर्य है, स्थानीय निकाय यथा नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम अथवा अन्य प्राधिकारी से है जो विधि द्वारा तत्समय के लिए किसी निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र में किन्ही विषयों के नियंत्रण तथा प्रभारण से विनियुक्त हो,

3.1.17 ''मनोरंजक पशु'' से तात्पर्य वह पशु जो टिकिट विक्रय द्वारा आम जनता के मनोरंजन के लिये उपयोग में आता हो या उस प्रयोजनार्थ हो,

3.1.18 ''पशु चिकित्सक'' से अभिप्रेत है भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 के अधीन स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत पशु चिकित्सक,

3.1.19 ''रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र'' से इन नियमों के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अभिप्रेत है।

3.2 शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इन नियमों में प्रयुक्त है किंतु परिभाषित नहीं है, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है।

4. कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्ते :–

4.1 छत्तीसगढ़ शासन पशुधन विकास विभाग के आदेश क्रमांक 374/एफ–146/35/जी.ज.क.बो./2014–16, दिनांक 31.03.2016 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड हेतु निम्न तालिका अनुसार पद संरचना स्वीकृत किये गये है।

क	पदनाम	वेतनमान	लेवल	पद संख्या
1	संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाये	79900–211700	L-14	01
2	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ	56100–177500	L-12	02
3	सहायक वर्ग–2	25300–80500	L-6	01
4	सहायक वर्ग–3	19500–62000	L-4	01
5	वाहन चालक	19500–62000	L-4	01
6	चतुर्थ श्रेणी (भृत्य/चौकीदार के 02 पद तथा स्वच्छकर्ता सह परिचारक/चौकीदार के 02 पद)	15600–49400	L-1	04

परंतु भविष्य में छत्तीसगढ़ शासन के आदेश द्वारा इसमें जो भी संशोधन/परिवर्तन किए जायेंगे वे स्वतः ही तदनुरूप यहॉ लागू माने जायेंगे।

4.2 उपनियम 4.1 मे उल्लेखित आदेश के क्रमांक (1) के संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, बोर्ड के सदस्य सचिव के रूप मे कार्य करेंगे तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जो अधिसूचना मे विनिश्चित हो तथा इसके अतिरिक्त बोर्ड उसे नियम के अधीन समय–समय पर समनुदेशित करे।

4.3 बोर्ड का सदस्य सचिव/संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख होंगे और बोर्ड द्वारा संचालित समस्त कार्यो के संचालन हेतु उत्तरदायी होंगे।

4.4 समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, सदस्य सचिव/संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें के नियंत्रण तथा मार्गदर्शन मे कार्य करेंगे।

4.5 समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी छत्तीसगढ़ शासन के पशुधन विकास विभाग के सेवक होंगे तथा उनकी सेवा–शर्ते इस प्रकार शासित होगी जो उनके पैतृक विभाग मे तत्स्थानी पद धारण करने वाले व्यक्तियों को लागू हो और वे ऐसा वेतन, अन्य भत्ते तथा सुविधाऍ प्राप्त करेंगे जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर उनके कर्मचारियों के लिए अवधारित किये जायेंगे।

4.6 नियम 4 के उपनियम 4.1 के अधीन, इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी, पशुपालन विभाग को आबंटित बजट से अपने वेतन तथा अन्य भत्ते प्राप्त करेंगे तथा ऐसे नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे तथा छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड को प्राप्त स्थापना अनुदान से वेतन प्राप्त करेंगे। प्रतिनियुक्ति भत्ता समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी सन्नियमों के अनुसार दिए जायेंगे।

5. **भत्ते :–**

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देश कमांक 25/2016 (पत्र कमांक 413/एल 2016–56–00045/वि/नि/चार, दिनांक 22/10/2016) एवं समय समय पर यथा संशोधित निर्देश के द्वारा निगम/मंडल/आयोग आदि के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की निर्धारित पात्रता अनुसार मानदेय तथा भत्ते देय होंगे।

6. **निधियों का संचालन :–**

6.1 बोर्ड, शासन/मंडी बोर्ड/भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड एवं अन्य संस्थाओं से बजट प्राप्त करेगा।

6.2 बोर्ड के सदस्य सचिव लेखा पुस्तिका सुसंगत सब्सिडी रजिस्टर वाउचर और अन्य संबंधित दस्तावेज उसी रीति में रखने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि सरकारी कारोबार के संव्यवहार में रखे जाते है।

6.3 स्थापना मद के अतिरिक्त अन्य व्यय हेतु प्राप्त राशि का अनुमोदन कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया जावेगा।

6.4 बोर्ड कार्यालय के कल्याण व्यय प्रति माह रूपए 2000/– (दो हजार रूपए) तक किया जा सकेगा।

6.5 बोर्ड कार्यालय में आकस्मिक एवं विविध खर्च के लिए रूपए 25000/–(रू. पच्चीस हजार) तक स्थायी अग्रिम रखने एवं उसके व्यय का पूर्ण अधिकार संयुक्त संचालक/सदस्य सचिव को होगा।

6.6 बोर्ड कार्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा चार्टड अकाउंटेड द्वारा ऐसे अंतरालो पर की जाएगी जो कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में हुआ व्यय बोर्ड द्वारा चार्टड अकाउंटेड को देय होगा।

7. **बोर्ड के कार्य :–**

7.1 बोर्ड, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के संदर्भ में भारत शासन द्वारा जारी नियमों के अनुरूप, तथा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के तहत भी कार्य कर सकेगा।

7.2 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं इसके तहत बनाये गये नियमों की भावनाओं के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार को परामर्श दे सकेगा।

7.3 बोर्ड, पालतु पशु दुकान/श्वान प्रजनन एवं विपणन केंद्र का पंजीयन करेगी।

7.4 बोर्ड, छ.ग. राज्य के प्रत्येक जिले में गठित, जिला स्तरीय पशु क्रूरता निवारण समिति (जिला एस.पी.सी.ए.) के कार्यो का मूल्याकंन, समीक्षा एवं भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक सहायता व दिशानिर्देश प्रदान कर सकेगा। जिला एस.पी.सी.ए. छ.ग. राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड नियम 11 के अनुसार कार्य करेगा।

7.5 बोर्ड, प्रत्येक जिलें में एस.पी.सी.ए. समिति के अधीन पशुगृह एवं पशु रूग्णावास बनाने हेतु प्रोत्साहित करेगा जिसके लिए जिला एस.पी.सी.ए. को वित्तीय सहायता जिला स्तर पर या शासन से प्राप्त करना होगा। पशु गृह एवं पशु रूग्णावास में वृद्ध और निरूपयोगी, पशु या पक्षी को संरक्षण, आश्रय एवं चिकित्सकीय सुविधा प्रदान किया

जावेगा। पशुगृह एवं पशु रूग्णावास के लिए भूमि जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी।

7.6 बोर्ड, पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए प्रवृत विधि का निरंतर अध्ययन करेगा तथा समय समय पर ऐसी किसी विधि में किये जाने वाले संशोधन पर शासन को परामर्श दे सकेगा।

7.7 बोर्ड, पशु कल्याण कार्यो को बढ़ावा देगा एवं पशु कल्याण हेतु राज्य शासन को परामर्श दे सकेगा।

7.8 बोर्ड, एस.पी.सी.ए. के माध्यम से आवश्यकता होने पर मानव व पशु प्रजाति हेतु, जोखिमकारक पशुओं को प्राधिकारियों द्वारा विनष्ट किया जाना सुनिश्चित करवायेगा तथा ऐसे पशुपालकों को शासन के द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि दिलवाने की अनुशंसा करेगा।

7.9 बोर्ड, मानवीय शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु सभी जिला एस.पी.सी.ए द्वारा 14 से 30 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाड़ा मनवायेगा।

7.10 बोर्ड, प्रत्येक जिलें में गठित पशु क्रूरता निवारण समिति से छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के नियमों का पालन करवायेगा।

7.11 बोर्ड, जिलों में गठित पशू क्रूरता निवारण समिति द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट और अंकेक्षित वार्षिक लेखों की जांच करेगा और पशु कल्याण कार्य को बेहतर बनाने के लिए निर्देश भी दे सकेगा।

7.12 यदि कोई व्यक्ति स्वयं के पशुओं के अलावा अन्य पशुओं को एकत्र कर सेवा करना चाहता तो उसे संबंधित जिले के पशु क्रूरता निवारण समिति (एस.पी.सी.ए.) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा एवं छ.ग. राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड को सूचित करना होगा।

7.13 किसी जीव जन्तु की देखभाल करने वाले या उसे रखने वाले हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह जीव जन्तु का कल्याण सुनिश्चित करने के लिये, और जीव जन्तु को अनावश्यक पीड़ा या यातना देने का निवारण करने के लिये, सब युक्तियुक्त उपाय करेगा।

7.14 छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड़ द्वारा पशुओं के कल्याण यथा पशु तस्करों द्वारा पालतू एवं जंगली जानवरों की तस्करी को रोकने एवं जीव जन्तु कल्याण की गतिविधियों को बढ़ाने तथा लोगो में जनजागृति लाने का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग द्वारा नियुक्त पशु कल्याण अधिकारी तथा जिला एस.पी.सी.ए. के द्वारा अधिकृत पशु सेवक द्वारा किया जावेगा, जिसकी सूचना जिला एस.पी.सी.ए. के माध्यम से बोर्ड को प्राप्त होगी, बोर्ड, छ.ग. राज्य में किये गये कार्यो का संकलन करेगा।

7.15 पशुओं के प्रति अनावश्यक पीड़ा या यातना के निवारण एवं पशुओं एवं पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित पशु कल्याण संस्थाओं/समितियों को रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसाइटी में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड में पंजीयन कराने हेतु पालतू पशु दुकान (Pet Shop) एवं श्वान प्रजनन एवं विपणन केंद्र को संबंधित जिले के संयुक्त/उप सचांलक, प.चि.से. से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

7.16 बोर्ड, पालतू पशु दुकान (Pet Shop) का पंजीयन, भारत का राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 1152(अ) दिनांक 16 दिसबंर 2016 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पालतू पशु दुकान) नियम 2018 के अंतर्गत करेगी। पंजीयन पश्चात् ही संस्था द्वारा पालतू पशुओं का क्रय, विक्रय किया जा सकेगा।

7.17 बोर्ड, श्वान प्रजनन केंद्र का पंजीयन, भारत का राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना क्र. 19 (अ) दिनांक 11 जनवरी 2017 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (श्वान प्रजनन और विपणन) नियम 2017 के अंतर्गत करेगी। पंजीयन पश्चात ही पालतु पशुओ का क्रय, विक्रय किया जा सकेगा। बोर्ड द्वारा पालतु पशु दूकान एवं श्वान प्रजनन एवं विपणन केंद्र के पंजीयन से प्राप्त राशि को पशु कल्याण कार्यो में व्यय किया जा सकेगा।

7.18 बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग में पंजीकृत गौशालाओं में रखे गये कृषिक पशुओं के कल्याण के संबंध में समय–समय पर छत्तीसगढ राज्य गौसेवा आयोग को परामर्श दे सकेगा।

7.19 छत्तीसगढ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष की अनुपस्थिति/रिक्ति की दशा में उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

8. पंजीयन हेतु आवेदन :–

8.1 पालतु पशु दुकान (Pet Shop) एवं श्वान प्रजनन एवं विपणन केंद्र (Dog breeding center) छ.ग. राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, रायपुर के कार्यालय से आवेदन शुल्क राशि रू. 100/– (रू. एक सौ मात्र) का भुगतान कर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

8.2 पालतू पशु दुकान (Pet Shop) पांच हजार रूपये मात्र की पंजीयन शुल्क के साथ एवं श्वान प्रजनन एवं विपणन केंद्र (Dog breeding center) पांच हजार रूपये मात्र की पंजीयन शुल्क के साथ जो वापसी योग्य नहीं होगा, आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

8.3 पालतू पशु दुकान (Pet Shop), के लिए बोर्ड द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र पांच वर्ष के लिए विधि मान्य होगा। नवीनीकरण हेतु 5000 रूपये की फीस के साथ आवेदन किये जाने पर आगामी पांच वर्षो के लिए पंजीयन का नवीनीकरण किया जायेगा।

8.4 श्वान प्रजनन एवं विपणन केंद्र के लिए बोर्ड द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र दो वर्ष के लिए विधि मान्य होगा। नवीनीकरण हेतु बोर्ड को आवेदन किये जाने पर 5000 रूपये की फीस के साथ आगामी दो वर्षों के लिये पंजीयन का नवीनीकरण किया जायेगा।

8.5 पालतू पशु दुकान (Pet Shop) एवं श्वान प्रजनन एवं विपणन केंद के पंजीयन के नवीनीकरण के लिए आवेदन बोर्ड को पंजीयन के समाप्ति से कम से कम 30 दिन पहले किया जायेगा। पंजीयन समाप्ति दिनांक से एक माह तक नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में विलंब होने पर 500 रू (पांच सौ रूपये) विलंब शुल्क लगेगा तत्पश्चात और विलंब होने पर कार्यकारिणी समिति के समक्ष कार्यवाही हेतु रखा जा सकेगा।

8.6 पालतू पशु दुकान (Pet Shop) को भारत का राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना कमांक 1152(अ) दिनांक 16 दिसबंर 2016 पशुओं के प्रति कूरता का निवारण (पालतू पशु दुकान) नियम 2018 का पालन करना अनिवार्य होगा।

8.7 श्वान प्रजनन एवं विपणन केंद्र को भारत का राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना कमांक 19(अ) दिनांक 11 जनवरी 2017 पशुओं के प्रति कूरता का निवारण (श्वान प्रजनन एवं विपणन) नियम 2017 का पालन करना अनिवार्य होगा।

8.8 पालतु पशु दुकान एवं श्वान प्रजनन एवं विपणन केंद्र पशु कूरता निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो शिकायत जांच की स्थापित रीति में दोषी पाये जाने पर कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के पश्चात् पालतू पशु दुकान एवं श्वान प्रजनन एवं विपणन केंद्र को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए पंजीयन निलंबन/निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।

8.9 मनोरंजक पशु के पंजीयन हेतु आवेदन छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड रायपुर के पक्ष में किसी राष्ट्रीकृत बैंक के रायपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रू. 200/– की पंजीयन शुल्क के साथ, जो वापसी योग्य नहीं होगा, प्रस्तुत करना होगा एवं मनोरंजक पशु नियम 1973 का पालन करना अनिवार्य होगा।

9. पंजीयन प्रमाण पत्र :–

9.1 छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड कार्यालय में प्राप्त समस्त आवेदन पत्र की जांच बोर्ड के सदस्य सचिव अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

9.2 कार्यकारिणी समिति, पालतु पशु दुकान (Pet Shop) /श्वान प्रजनन एवं विपणन केंद्र के पंजीयन का अनुमोदन कर सकेगी अथवा अभिलिखित कारणों/आधारों पर पंजीयन नामंजूर कर सकेगी। पंजीयन आवेदन पत्र में पायी गयी किन्ही कमियों/त्रुटियों के बारे में सदस्य सचिव द्वारा सूचित किये जाने पर आवेदित पालतु पशु दुकान (Pet Shop)/श्वान प्रजनन एवं विपणन प्रमुख ऐसी सभी कमियों/त्रुटियों का सुधार, ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनो के भीतर करेगा, ऐसा करने में असफल होने पर, पंजीयन आवेदन स्वमेव निरस्त हो जायेगा।

9.3 कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के पश्चात्, सदस्य सचिव पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करेंगे। कार्यकारिणी समिति की बैठक न होने की स्थिति मे सदस्य सचिव द्वारा अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा तथा इसकी सूचना जिला एस. पी.सी.ए. को प्रेषित करेगा।

10. अपील :–

10.1 कार्यकारिणी समिति द्वारा आवेदन नामंजूर किये जाने की दशा मे पालतू पशु दुकान (Pet Shop) एवं श्वान प्रजनन एवं विपणन केंद्र आवेदन नामंजूर किये जाने की तारीख से 60 दिन के भीतर अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड को अपील कर सकेगी।

10.2 कार्यकारिणी समिति द्वारा पंजीयन निलंबन/निरस्त किये जाने की दशा में पालतू पशु दुकान (Pet Shop) एवं श्वान प्रजनन एवं विपणन केंद्र पंजीयन आवेदन ना मंजूर किये जाने की तारीख से 60 दिन के भीतर अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड को अपील कर सकेगी।

10.3 इस संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

11. जिला एस.पी सी.ए. के कार्य :–

11.1 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं इसके तहत भारत शासन/छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों को लागू करवाना।

11.2 जिलें में पशु गृह एवं पशु रूग्णावास के कार्यो का संचालन करना। जिसमें अशक्त, वृद्ध, अपंग एवं अनुपयोगी पशुओं हेतु शेल्टर बनाना एवं पशुओं के चिकित्सा हेतु समुचित प्रबंध करना।

11.3 पशु गृह एवं पशु रूग्णावास में पदस्थ अमले सदस्य सचिव जिला एस.पी.सी.ए. के अधीन कार्य करेंगे।

11.4 पशुओं के साथ सद्व्यवहार के संबंध में शिक्षा प्रदान करना, व्याख्यानों, पुस्तकों, प्रचारपत्रों, चलचित्र, प्रदर्शनी इत्यादि के माध्यम से पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या यातना पहुंचाये जाने के विरूद्ध एवं पशु कल्याण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रयास करना।

11.5 पशु जन्म नियंत्रण ऑपरेशन कार्यक्रमों (A.B.C. programe) का संचालन करना।

11.6 जिला में संचालित वधशालाओं की रूपरेखा व संधारण के विषय पर जिला एस.पी.सी. ए. को निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

11.7 पशु वधशालाओं, पशुबाजारों व मेलों तथा यातायात में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के मापदंडों को सख्ती से लागू करवाने हेतु प्रयास करेगा।

11.8 अवैध पशु कत्लखानों व अवैध मांस बिक्री केन्द्रो को शासन की मदद से रोकने की कार्यवाही करवाना।

11.9 दुधारू पशुओं में प्रयोग हो रहे आक्सीटोसिन इन्जेक्शन के उपयोग को रोकना व आक्सीटोसिन लगाने वालो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाने की अनुशंसा करना।

11.10 पशु कल्याण कार्यक्रमों हेतु दान, अनुदान, ऋण, लीज आदि प्राप्त करना व उसे पशु कल्याण कार्यो में लगाना।

11.11 जिला में संचालित होने वाले पशु कल्याण संस्था, समिति, पालतु पशु दुकान, श्वान प्रजनन एवं विपणन केंद्र इत्यादि की सूची प्रत्येक छः माही बोर्ड को उपलब्ध करायेगा।

11.12 जिला में स्थित कांजी हाऊस, पिंजरापोल व पशु शरणागृह का सर्वेक्षण व निरीक्षण करना तथा उनके सुचारू संचालन के लिए निर्देश देना।

11.13 चिडियाघरों, सर्कसों, मदारियों व पशु व्यापारियों पर पशु कल्याण की निगरानी करना।

11.14 जिला में पशु क्रूरता संबंधी प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही हेतु जिला पुलिस विभाग द्वारा एक पुलिस अधिकारी नामित करवाना।

11.15 जिला में पशु क्रूरता संबंधी प्राप्त सूचना, आवेदन या प्रकरण का निराकरण एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अधीन दोषी पाये जाने पर एफ.आई.आर. की कार्यवाही सदस्य सचिव, जिला एस.पी.सी.ए के द्वारा की जा सकेगी।

11.16 अन्य कानूनो के अंतर्गत पशु की हिंसा पर रोक संबंधी धाराओं का पालन करवाना।

11.17 किसी भी प्रकार की पशु प्रदर्शनी संबंधित जिला एस.पी.सी.ए से अनुमति प्राप्त करके करना होगा तथा जिला एस.पी.सी.ए. यह सुनिश्चित करेगी कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं इसके तहत बनाये गये नियमों का उल्लघंन ना हो।

11.18 प्रत्येक जिला एस.पी.सी.ए अपने कार्यो का मासिक विवरण प्रस्तुत करेंगे एवं प्रत्येक बैठक का कार्यवाही विवरण छ.ग. राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड को प्रत्येक तिमाही प्रस्तुत करेंगे एवं छ.ग. राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा समीक्षा पश्चात् दिये गये निर्देशों का पालन करेगा।

11.19 प्रत्येक जिला एस.पी.सी.ए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखों जिसे किसी चार्टर्ड अकाउंटेड ने जिला एस.पी.सी.ए. की प्रबंध समिति द्वारा अंतिम रूप दिए जाने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर सम्यक रूप से लेखा परिक्षित किया हो, को छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड को प्रस्तुत करेगी। वार्षिक रिपोर्ट अंतर्गत पशुओं के कल्याण के लिए किए गए क्रियाकलापो और पशु क्रूरता अधिनियम 1960 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के विभिन्न उपबंधो के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम और किए गए उपाय सम्मिलित होंगे।

12. एस.पी.सी.ए का बैंक खाता :–

जिला एस.पी.सी.ए की समस्त निधि किसी अनुसुचित अथवा राष्ट्रीकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी, निधियों का आहरण जिला एस.पी.सी.ए के अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तुलिका प्रजापति, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 21st August 2023

NOTIFICATION

No. F 8-51/35/2023.- In exercise of the powers conferred for carrying out its functions and establishing administrative system of CG State Animal Welfare Board under section 8.15 of the notification no. 325/F8-146/35/2015 dated 22/03/2016 the Chhattisgarh state government, hereby, makes the following rules namely :-

Rules 2023

1. Short title and Commencement :-

1.1 These rules shall be called the Chhattisgarh State Animal Welfare Boards rules 2023

1.2 They shall come into force on the date of their publication in the Official gazette

1.3 It shall extends to the whole of Chhattishgarh state.

2. Objective :-

Objective of the Board is to protect the animals from infliction of unnecessary pain or suffering by enforcement of "Prevention Of cruelty to Animals act, 1960."

3. Definitions :-

3.1 In these rules, unless the context otherwise requires-

3.1.1 "Board" means Chhattisgarh state Animal Welfare Boards established as per C.G. Govt. notification no.325/F8-146/35/2015 dated 23/03/2016 .

3.1.2 "Allowance" means travelling allowance and daily allowances.

3.1.3 “Fees” means registration fee for registration of Animal welfare organisations/committee/pet shops and dog breeding and marketing center.

3.1.4 "Government" means Government of Chhattisgarh.

3.1.5 "Financial year" means the period starting from 1st April of that calendar year and ending with 31st march of next calendar year of each calender year subject to change on account of changes made by either Central or State Government.

3.1.6 "Executive Committee" means Executive Committee mentioned in section 10.1 (A) of notification amendment F 8-146/35/2015/ 2023 Date 17-04-2023.

3.1.7 "Animal Welfare Society" means voluntary committee established for the welfare of animals registered under Chhattisgarh Society Registration Act 1973.

3.1.8 "Animals" means any living being other than human being and "Pet animal" means dog, cat, rabbit, guinea pig, hamster, rodents of rat or mice category and captive birds which is not prohibited by any other law, rules and regulations.

3.1.9 "Breeder" means an individual or group of persons who own dogs of specific breeds for breeding and sale of dogs and pups, and includes boarding kennel operator, intermediate handler and trader.

3.1.10 "Pet shop" means a shop or a person involved in the purchase-sale of pets.

3.1.11 "Animal shelter" means an organisation where helpless, orphan accidental and sick Animals are protected and medical facility will be provided.

3.1.12 "infirmaries" means hospital where medical facility as well as vaccination, medicines and other departmental facilities be provided to animals. Establishment of Animal Shelter and Infirmaries will be done under the provision No.4 of Government of India Notification S.O.271(E) dated 26.03.2001.

3.1.13 "District S.P.C.A. means Society for Prevention of Cruelty to Animals established in every district of Chhattisgarh State establish under notification S.O. 271 (E) of the Government of

India dated 26.03.2001 and registered under the Chhattisgarh society registration act 1973.

3.1.14 "Chairperson of district SPCA" means Deputy Commissioner/ District Collector/ District Megistrate.

3.1.15 "Member Secretery of District SPCA" means Joint Director/ Deputy Director Veterinary Services of concerned district.

3.1.16 "Local authority" means local body ie Nagar Panchayat, Nagar Palika, Nagar Nigam or other body authorised by any law for the control and administration of any matter within a specified local areas.

3.1.17 "Recreational Animals" means animal that is used for the entertainment of the general public by sale of tickets or for that purpose.

3.1.18 "Veterinary Doctor" means a veterinary doctor registered in Chhattisgarh State Veterinary Council established under Indian Veterinary Council Act. 1984.

3.1.19 "Certificate of registration" means a certificate of registration issued under these rules.

3.2 Words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to then in the Act.

4. Terms and conditions of service of Employees :-

4.1 Order no. 374/F/146/35/JJKB/2014-2016 dated 31/03/2016 of Chhattisgarh Government Livestock Development Department the post structure has been approved for Chhattisgarh State Animal Welfare Board as per the following table -

S.No.	Post	Payscale	Level	No. of Post
1	Joint Director, Vety Services	79900—211700	L-14	01
2	Veterinary Assistant Surgeon	56100—177500	L-12	02
3	Assistant Grade-2	25300—80500	L-6	01
4	Assistant Grade-3	19500—62000	L-4	01
5	Driver	19500—62000	L-4	01
6	Class-4 (02 post of peon/watchman and attendant/watchman of 02 post)	15600—49400	L-1	04

But in future, any amendment/ change in it by the order of Chhattisgarh Government they will automatically be deemed to be applicable here in accordingly .

4.2 The Joint Director Veterinary Services of order no.(1) mentioned in sub rule (1) shall act as the Member Secretary of the Board and shall discharge such functions as may be decided in the notification and in addition to this and the Board shall assign to him under the rule from time to time.

4.3 Member Secretary/Joint Director Veterinary Services of the Board shall be the administrative head of Chhattisgarh State Animal Welfare Board office and shall be responsible for conducting all the works conducted by the Board.

4.4 All officers and employees shall work under the control and guidance of the Member Secretary/ Joint Director Veterinary Services

4.5 All officers and employees shall be servant of the Livestock Development Department of the state Government and their service conditions shall be governed in such manner as applicable to the persons holding the corresponding posts in their parent department and shall receive such salary, other allowances and facilities as may be determined by the State Government to their employees from time to time.

4.6 Every officer and employee so appointed under sub rule 4.1 of rule 4, shall receive their salary and other allowances from the budget allotted to the Livestock Development Department and such appointed officers and employees shall on deputation and get salary under establismeant grant of Chhattisgarh State Animal Welfare Board, Deputation allowance shall be issued as per norms of Chhattisgarh State Finance department from time to time.

5. Allowances:-

The honorarium and allowances payable to nominated members of Board shall be as per Chhattisgarh state finance Department order No 25/2016 (413/L 2016-56-00045/V/Ni/4, dated 22.10.2016) and from time to time as per the amended instructions, honorarium and allowances shall be payable as per the prescribed ligibility for the salary,allowances and other facilities of the chairman, vice chairman,and members of the corporation/ Board/commission etc.

6. Operation of funds :-

6.1 Board shall receive budget from the Government /Mandy Board/Animal Welfare Board of India and other institutions.

6.2 The Member Secretary of Board shall be responsible for maintaining account book, relevant subsidiary register, vouchers and other related documents in the same manner as are maintained in the transaction of Government business.

6.3 Approval of the amount received for the expenditure other than establishment will be taken in the meeting of executive commettie.

6.4 The welfare expenditure of the Boards office can be made up to Rs. 2000/-(Rs Two Thousand) per month.

6.5 The Joint Director/Member Secretory will have full right to keep a permanent advance up to Rs. 25000/-(Rs. Twenty Five Thousand) for contingency and miscellaneous expenses in the Board office and its expenditure.

6.6 The accounts of the Boards office shall be audited by the Chartered Accountant at such intervals as may be specified by him and the expenditure incurred and in relation to such audit shall be payable to the Chartered Accountant by the Board.

7. Functions of Board : -

7.1 Board shall work according to the rules issued by the Central Government in respect to the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 and as per Provisions of the Act and rules prevailing in the Chhattisgarh State.

7.2 Board may advise the State Government to ensure compliance in accordance with the spirit of the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960,

7.3 Board will register animal welfare organisations /committees /pet shops and dog breeding and marketing center.

7.4 Board will evaluate and supervise the work of every district S.P.C.A. for prevention of cruelty to animals and will provide necessary support and guidance according to the provisions of the Animal Welfare Board of India. District S.P.C.A. will work as per rule 11 of Chhattisgarh State Animal Welfare Board Rules.

7.5 Board will set up Animal Shelter and Infirmaries in every district under S.P.C.A. To encourage establishment, financial assistance shall have to be obtained at the district level or from the Government medical facility shall be provided to old, helpless and orphan animals or birds in the animal shelter and infirmaries.The land for animal shelter and infirmaries shall be made available by the district administration.

7.6 Board shall continuously study the laws in force for the prevention of cruelty to animals and to advise the Government on amendments to be made in any such law from time to time.

7.7 Board shall promote animal welfare activities, and to advise the State Government on matters related to welfare of animals.

7.8 Board, through S.P.C.A if needed, will ensure that the dangerous animals for human and animal species are euthanised by the authorities and will recommend to such animal owners to get the compensation amount fixed by the Government.

7.9 Board, for the promotion of human education will celebrate animal welfare fortnight through all district S.P.C.A. from 14-30 January.

7.10 Board will comply the rules of the Chhattisgarh State Animal Welfare Board through every Society for Prevention of Cruelty to Animals (S.P.C.A) constituted in each district.

7.11 Board will examine the annual reports and audited annual accounts submitted by the Society for Prevention of Cruelty to Animals (S.P.C.A) formed in the districts. and will give instructions for improving animal welfare activities.

7.12 If a person wishes to serve any animal besides his/her own animals, he/she will have to obtain a No-objection certificate from the concerned district Society for Prevention of Cruelty to Animals (S.P.C.A) and S.P.C.A will have to inform Chhattisgarh State Animal Welfare Board.

7.13 It shall be the duty of every person who cares for or keeps an animal, to take all reasonable measures to ensure the welfare of the animal, and to prevent unnecessary pain or suffering to the animal.

7.14 The work of animal welfare by the Chhattisgarh State Animal Welfare Board such as to prevent the smuggling of domestic and wild animal by animal smugglers and to increase the activities of animals welfare and to bring public awareness among the people. the animal welfare officer appointed by the Chhattisgarh State Gauseva aayog and authorized animal servent by district S.P.C.A. whose imformation shall be given by the district S.P.C.A. the Board shall receive through compilation of works done in the state.

7.15 Animal welfare organization/ committee established for the prevention of unnecessary pain or infliction to animal shall be mandatory to be registered with the Registrar, firms and society. It will be mandatory for the animal welfare organizations/committee/pet shop and dog breeding and marketing center to get inspection report from Joint/Deputy director of the concerned district.

7.16 Board shall register pet shops under the prevention, of cruelty to animals (pet shop) rules 2018 published in Gazette of India notification No 1152 (E) dated 16 december 2016.Pet animal can be sale -purchase only after registration.

7.17 Board shall register dog breeding and marketing center under the. Prevention of cruelty to animals (Dog breeding and marketing) rules 2017 published in gazatte of India notification No. 19(E) dated 11-01-2017 Pet animal can be sale -purchase only after registration. The amount received as fees by the Board through the registration of the animal welfare organizations /committee/pet shops and dog breeding and marketing center will be spent on animal welfare activities.

7.18 The Board may give advice in relation to the welfare of the cattle kept in the Gaushalas registered by the Chhattisgarh State Gauseva Aayog.

7.19 In the abscence /vacancy of the Chairman of the Board the Vice Chairman will discharge all the powers and functions of the Board.

8. Application for registration of the organisation:-

8.1 Any animal welfare organisation /committee/pet shop and dog breeding and marketing center will be able to get application form by paying the application fees of Rs.100/- (Rs. One hundred only) from the office of Chhattisgarh State Animal Welfare Board ,Raipur in working hours of office.

8.2 For registration in the Chhattisgarh State Animal Welfare Board, Animal welfare organisation/Committee shall submit an application accompanied by a registration fee of Rupees One Thousand to be remitted in the form of a demand draft from any nationalised bank in favour of C.G. State Animal Welfare Board Raipur, registration fee shall be non refundable.

8.3 Application must be submitted for pet shop with registration fee of Five thousand rupees only and Dog breeding and marketing center registration fee of Rs. Five Thousand only to be remitted in the form of a demand draft from any nationalised bank in favour of C.G. State Animal Welfare Board Raipur, registration fee shall be non refundable.

8.4 A certificate of registration for pet shop issued by the Board shall be valid for a period of five years and shall be renewed for the upcoming 5 years, upon an application being made to the Board together with a fee of five thousand rupees.

8.5 A certificate of registration for Dog breeding center issued by the Board shall be valid for a period of two years and shall be renewed for the upcoming 2 years upon an application being made to the Board together with a fee of five thousand rupees.

8.6 An application for renewal of registration of pet shop and dog breeding and marketing center shall be made atleast 30 days prior to the expiry of the registration to the Board. Delay in applying for renewal for one month from the date of closing of registration will charged late fee of Rs 500, after which further delay will be placed in the Executive Commitiee for action.

8.7 It shall be mandatory for the Pet Shop to comply with the Notification published in the Gazette of India No. 1152(E) dated 16 Dec 2016 prevention of cruelty to animals (pet shop) rules 2018.

8.8 It shall be mandatory for the Dog breeding and marketing center to comply with the Notification published in the Gazette of India No. 19(E) dated 11 jan 2017 prevention of cruelty to animals (Dog breeding and marketing) rules 2017.

8.9 If any animal welfare organisation/Committee/Pet shop/Dog breeding center violates the provision the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960,On investigation through established custom if found guilty, on recommendation of executive committee action will be taken or suspension/cancellation of registration after being reasonable opportunity for being heard.

8.10 Application for registration for recreational animal in the form of demand draft registration fee of Rs. 200 in favour of Chhattisgarh State Animal Welfare Board Raipur payable at raipur of any Nationalized bank. Which is non-refundable and it will be mandatory to follow the Recreational Animals Rules 1973.

9. Registration certificate: -

9.1 All applications received by Chhattisgarh State Animal Welfare Board office will be examined by the Member Secretary or any other officer authorised by him/her. Such applications will be presented in the executive committee meeting.

9.2 The executive committee shall be approve the registration of animal welfare organisations/committee/Pet shops and Dog breeding and marketing center or may deny the registration on the mentioned reasons /bases recorded. On being notified by the member secretary about errors found in the registration application form. the organisation/Committee/Pet shop and Dog breeding and marketing center head rectification of all such errors within a period of 60 days from the date of the receipt of such application, failure to do so, the registration application will be automatically cancelled.

9.3 After the approval by the Executive commitee, member secretary will issue the registration certificate. In the absence of the

executive commitiee provisional certificate can be issued by the member secretery and inform to the district SPCA.

10. Appeal :-

10.1 In the event of the application being rejected by the executive committee, the Animal Welfare organisation/committee/pet shop and dog breeding and marketing center may appeal to the Chairman of Board within 60 days from the date of application being rejected.

10.2 In the event of suspension/cancellation of registration by the executive committee, the animal welfare organisation/ Committee / Pet shop / dog breeding and marketing center can appeal to the chairman of Chhattisgarh State Animal Welfare Board within 60 days from the date of application being rejected.

10.3 In this regard the decision of the Chairman of the Board will be final.

11. Function of district S.P.C.A :-

11.1 To implement the rules of Prevention Of Cruelty to Animals Act 1960 and the rules made by the Government of India/Chhattisgarh State Government under this Act.

11.2 Operate the functions of Animal Shelter and Infirmaries in the district, to provide shelter to the disable, old, handicapped, injured and useless animals and to provide treatment facilities for such animals.

11.3 Employees posted in Animal Shelter and Infirmaries will work under the Member Secretary of district S.P.C.A.

11.4 To impart education in relation to the humane treatment of animal and also endeavour to sensitize people regarding animal welfare by means of lectures, books, posters, cinematographic exhibitions about unnecessary pain and suffering to animals.

11.5 To organize animal birth control (A.B.C.) operation programes.

11.6 District S.P.C.A will have the right to inspect and control over design and maintenance of slaughter house in the district.

11.7 To make strict enforcement of the parameters of prevention of Cruelty to Animals Act 1960 in Animal slaughter houses Animals markets, fairs and traffic.

11.8 Take action to prevent illegal animals killing and illegal flesh sale centers with the help of governance.

11.9 To prevent the use of Oxytocin injection being used for milking animals in dairy and recommend to take legal action against those who use Oxytocin.

11.10 To receive donations, grant, loans, leases etc. and use it in animal welfare activities.

11.11 The list of Animal welfare organisation,committees,pet shop, dog breeding and marketing center etc. to be operated in the district will be made available to the board every six months.

11.12 To survey and monitor the Kanjihouse, Pinjrapole and animal shelter located in the district and directing them for their smooth operation.

11.13 Monitoring of animal welfare especially in zoo, circuses and animal traders.

11.14 To nominate one police officer of the district police department for immediate action on information related to animal cruelty in the district.

11.15 Member secretary of district S.P.C.A. shall dispose of the information application or cases related to cruelty in animals at district level and F.I.R shall be filled against the accused according to Prevention of Cruelty to Animals Act 1960.

11.16 To comply with the restriction on violence to Animals under other laws.

11.17 For any type of Animal exhibition permission should be obtained from the concerned district S.P.C.A and district S.P.C.A will ensure that there should not be any violation of the rules made under Prevention of Cruelty to Animals Act 1960.

11.18 Each district S.P.C.A will present the details of their mothly work and the proceeding details of meeting to the Chhattisgarh State

Animal Welfare Board in every quarter. And after the reviews by the Board S.P.C.A should follow the instructions given by Board.

11.19 Every district S.P.C.A has its annual report and annual accounts which has been audited by a Charter Accounted within a period of one month from the date of finalization by the managing committee will be presented to the Board under annual reports action taken for the implementation and measures for activities of the welfare of animals prevention of cruelty to animals Act 1960 and various provisions and rules made under it.

12. S.P.C.A bank account :-

All district S.P.C.A will deposit funds in a scheduled and nationalize bank or post office, withdrawal of funds will be done by Member Secretary with the permission of the Chairman of district S.P.C.A.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
TULIKA PRAJAPATI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.